संo:-2137/ III(2)/17-27(सामान्य)/2017

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण विभाग-2

देहरादूनः दिनांक : 05 सितम्बर, 2017

विषयः **दिनांक 01.07.2017 से G.S.T. लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा की प्रकिया सम्बन्धी दिशा-निर्देश।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या : 1150/174/सा0प्र0-जी0एस0टी0/17 दिनांक 16.08.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से दिनांक 01.07.2017 से G.S.T. लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि G.S.T. लागू होने के पश्चात किए जाने वाले भुगतानों के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रियानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें :-

Case-1 दिनांक 30 जून 2017 तक दाखिल एम0बी0 के सम्बन्ध में कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरान्त प्रस्तुत एम0बी0 के सम्बन्ध में कर के दायित्व का निर्धारण जी0एस0टी0 के प्राविधानों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन्वाईस(Invoice) प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बिल की तिथि को संविदाकार की कर देयता होगी।

Case-2 दिनांक 30 जून, 2017 के उपरान्त जिन मामलों में एम0बी0 दाखिल की गयी है, उनमें जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा-51 के अनुसार विभाग द्वारा 2 प्रतिशत (1 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 एवं 1 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0) की स्रोत पर कटौती कर राजकोष में जमा कराने का प्राविधान है, परन्तु अभी धारा 51 को प्रभावी नहीं किया गया है। अतः इस प्राविधान के प्रभावी होने तक विभाग द्वारा कोई कटौती न की जाए तथा संविदाकार को जी0एस0टी0 के अन्तर्गत भुगतान बिना कटौती के किया जाए।

Case-3 जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के अनुसार टी0डी0एस0 कटौती के लिये भुगतान को आधार माना गया है। अतः ऐसे में धारा 51 जिस तिथि से प्रभावी होगा, उस तिथि से संविदाकार को भुगतान में से 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती कर राजकीय कोष में जमा करवाया जाए।

3. G.S.T. के कारण ठेकेदार को पड़े अतिरिक्त भार हेतु Case 2 व Case 3 के भुगतान करते समय देयक की मदों में प्रयुक्त सभी सामग्री (Material) की दरों में 01 जुलाई 2017 से पूर्व सम्मिलित समस्त करों की कटौती करते हुये, अंत में मद (Item) की दर में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-20/2017-Central Tax(Rate) दिनांक 22.08.2017 में निर्मित तालिका के कॉलम-4 में निर्धारित तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर की दर जोडी जाए।

4. उपरोक्त सभी Cases में Income तथा Labour Cess हेतु की जाने वाली कटौतियां पूर्व की भांति ही की जाए। Labour Cess पूर्व की भांति ही प्रत्येक मद की दर विश्लेषण में 1% की दर से जुड़ा रहेगा।

क्रमशः........पृष्ठ 2 पर

5– G.S.T. के कारण ठेकेदार को किए जाने वाले अतिरिक्त भुगतान की गणना प्रत्येक देयक में निम्न प्रक्रियानुसार की जाए :–

Step 1– अनुबंध के अंतर्गत पेमेंट किए जाने वाले प्रत्येक मद में सम्मिलित समस्त Material Resources की लिस्ट बनाई जाए।

Step 2– प्रत्येक material Resource पर 1 जुलाई, 2017 से पूर्व लागू समस्त Tax की दर प्राप्त कर प्रत्येक Resource का Basic rate Calculate किया जाए।

पूर्व में लागू Tax की दर निम्न Website से ज्ञात की जा सकती है–

VAT हेतु	–	http://comtax/uk.gov.in
Excise Tax हेतु	–	http://www.cbec.gov.in

इसी प्रकार यदि कोई अन्य Tax लागू था, तो उसकी दर भी संबंधित विभाग से ज्ञात की जाए।

Step 3– आगणन की दर विश्लेषण में प्रत्येक Resource की Step-2 से Calculated Basic Rate के आधार पर मद की दर (Item Rate excluding Tax) आंकलित की जाए तथा आंकलित मद की दर के अंत में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–20/2017–Central Tax(Rate) दिनांक 22.08.2017 में निर्मित तालिका के कॉलम–4 में निर्धारित तथा समय–समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर की दर जोडी जाए।

Step 4– Step–3 से प्राप्त मद की दर का आगणन की दर के सापेक्ष दरों में हुआ प्रतिशत विचलन ज्ञात किया जाए तथा Tender Rate पर उक्त निकाले गए प्रतिशत विचलन की दर से अतिरिक्त धनराशि ठेकेदार को देय होगी। इसी प्रकार अनुबन्ध की मदों एवं दरों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। उपरोक्त Steps के अनुसार समस्त मदों की अतिरिक्त धनराशि आंकलित कर बिल के अन्त में जोड़कर देय होगी।

6. भविष्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत किये जाने वाले एस0ओ0आर0 में मदों की दरें exclusive of G.S.T. होगी। अतः भविष्य में गठित किये जाने वाले आगणन में मदों की exclusive of G.S.T. दरों को लिया जाए। आगणन में जी0एस0टी0 के प्राविधान हेतु आगणन के अन्त में कुल लागत पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–20/2017–Central Tax(Rate) दिनांक 22.08.2017 में निर्मित तालिका के कॉलम–4 में निर्धारित तथा समय–समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर की दर के अनुसार प्राविधान किया जाए।

7. भविष्य में जो निविदायें आमंत्रित अथवा निस्तारित की जाएं, उसमें वित्तीय प्रस्ताव जी0एस0टी0 राशि को छोड़कर (Exclusiv of G.S.T.) प्राप्त की जाए एवं देयक भुगतान के समय जी0एस0टी0 की जो दर देयक पर लागू हो उसके अनुसार टैक्स का भुगतान विभाग द्वारा अलग से ठेकेदार को किया जाए। जी0एस0टी0 को छोड़कर शेष समस्त कर, उपकर, लेवी, फी, टोल इत्यादि के भुगतान का दायित्व निविदाकार का होगा तथा यह माना जायेगा कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव (Financial offer/Tender rate) में उपरोक्त करों की राशि का भुगतान सम्मिलित है।

8. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 563/2017/XXVII-8/20(120)/2016 दिनांक 12.07.2017 द्वारा जी0एस0टी0 प्रणाली लागू हो जाने के उपरान्त टी0डी0एस0 कटौती के सम्बन्ध में निर्गत स्पष्टीकरण का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

9. उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

10. **यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–716/17/18(120)/xxvii(8)/2016 दिनांक 05 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।**

भवदीय

Om Prakash

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

क्रमशः.....पृष्ठ 3 पर

संख्या : 2137 / III(2)/17–27(सामान्य)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्ड़िग, माजरा देहरादून।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8- समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9- समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
10- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
11- कार्यालय प्रति/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव